भारत INDIA कोर्ट फ़ी COURT FEE बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20
दो रुपये TWO RUPEES Rs.2
दो रुपये TWO RUPEES Rs.2
दो रुपये TWO RUPEES Rs.2

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018/निगरानी

निगरानी/शिवपुरी/ भू.रा/2018/0791

आवेदक -- रमेश जाटव पुत्र श्री कमला जाटव, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12.2.18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 29.1.18

बनाम

अनावेदकगण -- 1- लाल साहब पुत्र श्री सुखलाल, आयु 35 वर्ष, **निवासी** ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी (म0प्र0)

S.L. Dhakad Adv 29/1/18

2- मध्य प्रदेश शासन, द्वारा - कलेक्टर, जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

3- तहसीलदार, तहसील बदरवास, जिला - शिवपुरी (म0प्र0)

<u>निगरानी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.11.2017 पारित न्यायालय तहसीलदार बदरवास, जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 30/2016-17/अ-70 में पारित।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी **आवेदन-पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

शाखा प्रभारी (रा.अ.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर 29.1.18

1- यहकि, ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी में स्थित मध्यप्रदेश शासन की पॉलसी के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन व्यक्तियों को शासन के निर्देशानुसार विशेष अभियोजन के तहत भूमि बंटन की कार्यवाही प्रचलित की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 62/2001-02/अ-19 के द्वारा ग्राम बरखेडा खुर्द, स्थित कई सर्वे क्रमांकों, जो लिस्ट अनेक्चर-पी-1 के अनुसार बंटित हेतु भूमि निर्धारित की गयी थी तथा भूमिहीन व्यक्तियों को बंटन हेतु कब्जा अनुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2018/791

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/03/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 748, 750/2 एवं 751 रकवा 0.15, 0.16 एवं 0.100 हे. स्थित ग्राम बरखेडा खुर्द, तहसील बदरवार जिला शिवपुरी का स्थल जांच प्रतिवेदन पटवारी से प्राप्त किया जाकर प्रकरण में विधिवत कार्यवाही की जा रही है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। प्रकरण अभी तहसीलदार के समक्ष लंबित है एवं प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसे कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिस कारण निगरानी ग्राह्य की जा सके। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	